संख्या-16/2024/611/23-2-2024

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई,2024**

विषय:- जनपद लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 56) के कि0मी0 10 में अर्जुनगंज के समीप मरी माता मन्दिर के निकट 04 लेन एलीवेटड फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-167 एल0ए0/ 2024, दिनांक 18.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में उप परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, सेतु निर्माण इकाई-द्वितीय लखनऊ के सन्दर्भित पत्र दि० 03.06.2024 पर मुख्य परियोजना प्रबंधक (लखनऊ), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ के सन्दर्भित पृष्ठांकन दि० 03.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि अवगत कराना है कि वर्तमान में उक्त 04 लेन एलीवेटेड फ्लाईओवर के स्थान पर "जनपद लखनऊ में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग के कि०मी०-10 में मरी माता मन्दिर स्थित सकरे लघु सेतु के स्थान पर 5x6.0x6.0 मी० स्पॉन के आर०सी०सी० बाक्स कल्बर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग" का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०-70/2024/437/011-437/2024/23-10099-23-2023 दि० 16.03.2024 द्वारा रू0 1592.66 लाख की प्रदान की गई है। तथा उक्त दोनों परियोजनाओं (04) लेन एलीवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण एवं लघु सेतु का निर्माण का संरेखण समान होने के कारण 04 लेन एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु स्वीकृत 2.37 एकड़ रक्षा भूमि की धनराशि का उपयोग लघु सेतु के निर्माण के लिए भी आवश्यक है, जिस हेतु 04 लेन एलीवेटेड पलाईओवर के निर्माण हेतु स्वीकृत 2.37 एकड़ रक्षा भूमि के क्रय हेतु जारी शासनादेश सं0-12/2024/345/23-2-2024, दि० 15.03.2024 में 04 लेन एलीवेटेड फ्लाईओवर के नाम को परिवर्तित कराते हुए स्वीकृत लघु सेतु का नाम "जनपद लखनऊ में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग के कि०मी०-10 में मरी माता मन्दिर स्थित सकरें लघु सेतु के स्थान पर 5x6.0x6.0 मी० स्पॉन के आर०सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त मार्ग" का संशोधन कराते हुए शासनादेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया।"

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अनुरोध के क्रम में जनपद-लखनऊ में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-56) के किमी0-10 में अर्जुनगंज के समीप मरी माता मन्दिर के निकट 04 लेन एलीवेटेड पलाईओवर के निर्माण हेतु स्वीकृत 2.37 एकड़ रक्षा भूमि के क्रय हेतु जारी शासनादेश सं0-12/2024/345/23-2-2024, दि० 15.03.2024 में 04 लेन एलीवेटेड फ्लाईओवर के नाम को परिवर्तित/ संशोधित करते हुए स्वीकृत लघु सेतु का नाम "जनपद लखनऊ में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग के कि०मी०-10 में मरी माता मन्दिर स्थित सकरें लघु सेतु के स्थान पर 5x6.0x6.0 मी० स्पॉन के आर०सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त मार्ग" किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश में अंकित शेष भाग/शर्तें आदि यथावत रहेगी।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2024/611(1)/23-2-24 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।